न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपीडी/टीए/997/2001/हनुमानगढ

2. अपीडी/टीए/2105/2001/हनुमानगढ

देवीलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

अपीलार्थी

बनाम

1 बृजाराम पुत्र अमीलाल
2 श्रवण पुत्र अमीलाल
3 रामकुमार पुत्र अमीलाल
4 कृष्ण पुत्र अमीलाल
5 महेन्द्र पुत्र अमीलाल पुत्र जैसाराम सभी जाति जाट निवासी चाईया
6 श्योकोरी बेवा अमीलाल जाति जाट निवासी चाईया
7 कलावती पुत्री अमीलाल
8 विमला पुत्री अमीलाल
9 सुमित्रा पुत्री अमीलाल सभी जाति जाट निवासी चाईया
10 इन्द्राज पुत्र जैसाराम (फौत) जरिये वारिसान
10/1मीना पत्नी इन्द्राज
10/2 ओम प्रकाश पुत्र इन्द्राज
10/3 अमरसिंह पुत्र इन्द्राज
10/4 भवंरी पुत्री इन्द्राज सभी निवासी चाईया
11 खिराज पुत्र जैसाराम जाति जाट
12 चेतराम पुत्र जैसाराम (फौत) जरिये वारिसान
12/1सरोती पत्नी चेतराम
12/2 मदनलाल पुत्र चेतराम
12/3 विनोद कुमार पुत्र चेतराम
12/4 सलोचना पुत्री चेतराम सभी जाति जाट निवासी चांईया तहसील रावतसर
13 राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

1. अपीडी/टीए/997/2001/हनुमानगढ
2. अपीडी/टीए/2105/2001/हनुमानगढ

उपस्थितः श्री एन.एन.बेनिवाल वकील अपीलार्थी
श्री मनीष पाण्डया वकील प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थी संख्या 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः.13.11.18

ये दोनों द्वितीय अपीले धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रकरण संख्या 12/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.2.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनों अपीलों में विवादित भूमि, विवाद की विषयवस्तु, विवादित आराजीयात एवं पक्षकार एक ही होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषणगण की प्रार्थना स्वीकार कर एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद बाबत तकासमा धारा 53 अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष प्रस्तुत कर आराजी जरई प.न. 196/410 कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18 व 21 तादादी 13 बीघा वाके रोही चक 11 बी.पी.एम. को वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होना तथा वादी का 1/5 हिस्सा होना कथन करते हुए बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ने जबाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी देवीलाल ने चक 9–11–13 बी.पी.एम. की अपने हिस्से की 12 बीघा भूमि दिनांक 10.6.82 को अपने शपथ पूर्वक बयान द्वारा राज को सरेण्डर करके उसके बदले में चक 5 बी.पी.एम. की 18 बीघा भूमि प्राप्त की है। मिसल नम्बर 97 रजू दिनांक 27.7.73 फैसला दिनांक 10.6.82 से सरप्लस घोषित हो जाने से उक्त चक नम्बर 11 की भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दर्ज रह जाने के कारण वादी ने गलत रूप से यह दावा किया है। अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 के वारिसान का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय से सहायक कलक्टर, रावतसर को स्थानान्तरित किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तीन तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 30.5.2000 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय

में अपील पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 9.2.2001 से अपील स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर वादी अपीलार्थी ने ये दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकियात को वादी अपीलार्थी ने साबित किया है। जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श पी–ए में वादी अपीलार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। मौखिक गवाहों के साक्ष्यों से भी वादी का 1/5 हिस्सा विवादित भूमि में होना साबित है। तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। वादी अपीलार्थी द्वारा चक 11 बी.पी.एम. की भूमि का सरेण्डर नहीं किया गया है। चक 5 की भूमि अलग से आवंटित की गई है जिससे इस संयुक्त खातेदारी की भूमि का कोई संबंध नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों को समझे बिना निर्णय दिया है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर वादी अपीलार्थी का वाद डिक्री किया है जो उचित है। अतः ये अपीले स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वक 9–11–13 बी.पी.एम. की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी के हिस्से की 9 बीधा भूमि बनती है जिसे वादी ने राज्य पक्ष में सरेण्डर कर दिया एवं इसके बदले में चक 5 बी.पी.एम. में 21 बीघा भूमि आवंटित की गई है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन के निर्णय दिनांक 10.6.82 से उक्त चक 9, 11, 13 बी.पी.एम. की भूमि में वादी देवीलाल का हिस्सा सरेण्डर किये जाने से रकबा राज दर्ज किया जाने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में देवीलाल द्वारा दिये गये बयानों की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि परिवार के सदस्यों के नाम आरजी काश्त की भूमियों थी उसमें से देवीलाल को जो हिस्से में प्राप्त थी वह त्याग कर उसने अन्य जो उसके नाम 5 बी.पी.एम. में आरजी काश्त थी उसे पुख्ता आवंटन करवाया। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के प्रारम्भ में ही अंकित है कि चक 9, 11 व 13 बी.पी.एम. में 61 बीघा संयुक्त कब्जा काश्त की थी, उसमें देवीलाल का हिस्सा 12 बीघा बनता था जो उसने त्याग दिया व इसी कारण 5 बी.पी.एम. में उसकी पात्रता बनकर उसे पुख्ता आवंटन हुआ। जब वादी अपीलार्थी अपना हिस्सा राज के पक्ष में सरेण्डर कर चुका है तो अब उसका विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है। अतः ये दोनों अपीले खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालयने तनकी संख्या 1 का निर्णय करते समय जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श पी–1 में वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज होने को आधार मानकर तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया है तथा शेष तनकियात का निर्णय इसी तनकी के आधार पर किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने यह मानते हुए कि वादी द्वारा विवादित आराजीयात में निहित अपने हिस्से की भूमि को सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 10.8.82 प्रदर्श डी –1 के अनुसार सरप्लस घोषित कर दिये जाने के बाद विवादित भूमि में वादी का अब कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है जिससे वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श पी–1ए में चक 11 बी.पी.एम. की 13 बीघा कमाण्ड भूमि अमीलाल, इन्द्राज, खिराज, चेतराम देवीलाल पुत्रान जैसाराम के नाम आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व अंकित है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2052 प्रदर्श डी–2 में चक 9 बी.पी.एम. की भूमि अमीलाल, इन्द्राज, खिराज, चेतन पिता जैसाराम के नाम दर्ज है। सहायक आयुक्त, उपनिवेशन हनुमानगढ की मिसल संख्या 97 तारीख रजू 22.7.73 में पारित निर्णय दिनांक 10.6.82 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्तमान वादी अपीलार्थी द्वारा उसके सह खातेदारी में अंकित चक 9, 11, 13 बी.पी.एम. में उसके हिस्से की 12 बीघा भूमि राज को सरप्लस कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने व बयान देने के आधार पर उक्त निर्णय से चक 9–11–13 की 12 बीघा भूमि सरप्लस की जाकर रकबा राज घोषित किया गया है तथा चक 5 बी.पी.एम. में 18 बीघा आवंटित की गई है तथा 3 बीघा स्माल पेच के रूप में आवंटित की गई है। उक्त आदेश में सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने तहसीलदार को आदेश दिया है कि उक्त सरप्लस भूमि को रकबा राज दर्ज किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ देवीलाल के बयान प्रस्तुत हुए हैं जिसमें विवादित भूमि का आरजी काश्त के रूप में अंकन है तथा उस आरजी काश्त में से अपने हिस्से की 12 बीघा भूमि छोडने का अंकन है तथा 5 बी.पी.एम. की आरजी काश्त पुख्ता आवंटन की स्थिति बयान व आदेश से उभरती है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी को प्राप्त वादी का हिस्सा वादी द्वारा रकबा राज घोषित करा दिया गया था। ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थी का अब कोई रकबा विवादित भूमि में शेष नहीं रहता है। जिससे तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाना न्यायोचित है क्योंकि वादी का हिस्सा रकबा राज घोषित वादी स्वंय द्वारा कराया जाने के बाद

उसका कोई हिस्सा नहीं बनता है। जमाबन्दी सम्वत 2045 में वादी का नाम दर्ज होने मात्र से उसका 1/5 हिस्सा नहीं माना जा सकता। इस निर्णय निष्कर्ष में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की जाना प्रतीत नहीं होता है।

9. तनकी संख्या 2 इस आशय की है कि विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्तानुसार तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन के अनुसार वादी द्वारा विवादित भूमि में निहित स्वंय का हिस्सा प्रदर्श डी–1 के अनुसार रकबा राज घोषित करा दिये जाने से बाद उसका विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के वारिसान वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा ही रहता है। ऐसी स्थिति तनकी संख्या 2 का निर्णय बहक प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण किया जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। तनकी संख्या 3 भी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाना न्यायोचित है क्योंकि उक्तानुसार विवादित भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है जिससे प्रतिवादीगण जमाबन्दी को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं ये दोनें अपीले खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनों अपीले खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 9.2.2001 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष